दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2019/311

दिनांक : 05–08–2019

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
आर0डी0आर0बी0 महिला महाविद्यालय,
सेखूपुर, जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

विषयः मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने के कारण आपके महाविद्यालय में लगे प्रवेश प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूच्य है कि आपके महाविद्यालय में संचालित जिन पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न पाये जाने के कारण इस शर्त के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया गया था कि आप सम्बन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में 30 जून, 2019 तक मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन करा लें। परन्तु आप द्वारा अभी तक प्रवेश प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन नही कराया गया है।

अतः आपको पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में दिनॉक 15 अगस्त 2019 तक प्रत्येक दशा में चयन/अनुमोदन करा लें, यदि उक्त तिथि तक चयन/अनुमोदन नही कराया जाता है तो सम्बन्धित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस लिए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र प्रश्नगत महाविद्यालय के कालेज लाग–इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

739